Panel on Infrastructure Privatisation

1880. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a panel on infrastructure privatisation; and

(b) if so, what will be the terms of reference of the panel?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Employment in Gujarat and Rajasthan

1881. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to create employment opportunities for youths living in backward and tribal areas of Gujarat and Rajasthan;

(b) if so, the details thereof and criteria and specific particulars of schemes which have been adopted by Government for the Gujarat State;

(c) the details of the allocation of funds for each district of both the States, separately, during the Eighth Plan period; and

(d) if so, by when these schemes are likely to be implemented in each district of Gujarat and Rajasthan?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) No specific proposal has been received in the Planning Commission in this regard.

(b) to (d) Do not arise.

जिलाधीश, कुल्लू को उपलब्ध करवाई गई धनराशि

1882 **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जिलाधीश, कुल्लू को पांच लाख रुपये उपलब्ध कराये गये थे, यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित सभी योजनाओं में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ,

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनायें अब तक पूरी की जा चुकी हैं और जिलाधीश द्वारा कार्य करने वाली किन-किन एजेंसियों को किन-किन तिथियों को कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई थी ;

(ग) किन-किन विभागों द्वारा इस धनराशि का पूर्णरूप से इस्तेमाल किया गया है और ऐसे विभाग कौन-कौन से है जिन्होंने न तो इस धनराशि का इस्तेमाल किया है न ही समय रहते जिलाधीश और प्रश्नकर्ता को उन कारणों से अवगत करवाया है जिनके फलस्वरूप निर्माण-कार्यों को हाथ में नहीं लिया जा सका; और

(घ) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने न तो योजना पर कोई खर्च ही किया है और न ही समय रहते जिलाधीश और प्रश्नकर्ता को निर्माण कार्य आरम्भ न करने के कारणों से अवगत कराया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वित्तीय वर्ष 1993-94 में जिलाधीश, कुल्लू को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये थे। सभी योजनाओं पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जानकारी विवरण I **(नीचे देखिए)** में दर्शायी गयी है।

(ख) जिलाधीश कुल्लू द्वारा जिन-जिन तिथियों को जिन-जिन कार्यान्वयन एजेंसियों को जितनी-जितनी धनराशि दी गई है उसे विवरण II **(नीचे देखिए)** में दर्शाया गया है।

(ग) एवं (घ) अभी किसी भी विभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी ने धनराशि का पूर्ण उपयोग नही किया है। जिन विभागों/कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा धनराशि का उपयोग नही किया गया उनके बारे में जानकारी विवरण-III में दी गयी है।

विवरण-I

माननीय सांसद सदस्य राज्य सभा श्री महेश्वर सिंह द्वारा अनुशंसा की गई स्वीकृत स्कीमों का विवरण निम्नलिखित है :

क्र०सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृत की गई राशि	कार्यान्वयन एजेन्सी	दिनांक 10-11-94 को हुई बैठक में कार्यान्वयन एजेंन्सियों की रिपोर्ट के अनुसार कार्य की सूची
1	2	3	4	5
1	निर्माण सामुदायिक भवन, चकुरठा ग्रा० पं०, चकुरठा	50,000	ख०वि०अ० बन्जार	काम चल रहा है। दिसम्बर मास में पूर्ण होने की संभावना बताई गई है।